न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज

मुकदमा नं. 36/2019 तारीख दायर 26.6.19

सरकार बनाम बाबू लाल पुत्र नन्द लाल जाति महाजन निवासी सिंघाना तहसील बुहाना

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

:- निर्णय -: दिनांक 26.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। गैर सायल के अभिभाषक उपस्थित । मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सिंघाना ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कि है कि बाबू लाल पुत्र नन्द लाल जाति महाजन निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज. ने ग्राम सिंघाना के ख0न0 306 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म ,बारानी –2, , ख0न0 305 रकबा 0.22 हैक्टेयर गै.मु. सडक में से 0.04 हे0 भूमि पर दुकान मकान, बरामदा बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का के प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित आया।

अतिक्रमी की ओर से जबाब नोटिस पेश किया गया जिसमें अतिक्रमी ने अपने जबाब नोटिस में यह कथन किया गया है कि उपरोक्त भूमि ग्राम सिंघाना कीसघन आबादी की भूमि है। उक्त भूमि गैर सायल के हक पूर्वाधिकारी नन्द लाल की खरीद सुदा भूमि है जिस पर 1966 में निर्माण किया हुआ है। उक्त भूमि 1966 में विक्रय पत्र से खरीद की गई थी। इस भूमि पर ग्राम पंचायत को पंचायत राज. नियम 1996 के नियम 140 के तहत उसी का क्षेत्राधिकार बनता है गैर सायल को धारा 91 के तहत गलत व विधि विरूद्व नोटिस जारी किया गया है। गैरसायल की ओर से अपने जबाब में अतिक्रमी होने से इन्कार किया है। धारा 91 के तहत कार्यवाही को ड्रोप करने का निवेदन किया गया है।

Scanned with CamScanner

गैर सायल के जवाब नोटिस के उपरान्त उक्त अतिक्रमण की पुष्टि के लिए भू.अ. निरी. तथा पटवारी हल्का सिंघाना से पुन: जांच रिपोर्ट चाही गई। जिसके फलस्वरूप जांच कर्ताओ ने अपनी जांच रिपोर्ट मे उक्त राजकीय भूमि का आबादी क्षेत्र मे होना तथा अतिक्रमित भूमि का आवासीय भूमि मे उपयोग न होकर वाणिज्यिक प्रयोग मे लिया जाना बताया गया है। तथा गैर सायल को बेदखल करने की अनुशंसा की गई है।

बहस अधिवक्ता गैरसायल सुनी गई। अधिवक्ता गैर सायल ने धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र से बाहर की होना बताया तथा गैर सायल के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने की अनुशंसा की। पत्रावली पर उपलब्ध जवाब नोटिस एवं उसके संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बगौर मनन किया गया। प्रथमदृष्टया अतिक्रमी का अतिक्रमण पुन: जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना साबित होना पाया जाता है।

लिहाजा अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर सायल बाबू लाल पुत्र नन्द लाल जाति महाजन निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज. को ग्राम सिंघाना के ख0नं0 306 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म आबादी-2, ख0नं0 305 रकबा 0.22 हैक्टेयर गै.मु. सड़क मे से 0.04 है0 भूमि पर दुकान,मकान, बरामदा बनाकर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किया गया अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप लगान 0.20 की 50 गुणा जुर्माना राशि 10.00 रू. बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार बुहाना /भू0अ0नि0 सिंघाना/पटवारी हल्का सिंघाना को वास्ते जमा कायमी /बेदखली/वसूली की जाकर राशि राजकोष मे जमा करने हेतु लिखा जावे। भू0अ0निरीक्षक सिंघाना को राजकीय भूमि से अतिक्रमण भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तरतीब व तकमील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम होकर फैसल शुमार रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.201[illegible] को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कालचन्द मीणा)
उप तहसीलदार सिंघाना

Scanned with CamScanner